रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260132
CG-DL-E-10012025-260132

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2025/पौष 20, 1946
No. 37] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2025/PAUSHA 20, 1946

भारतीय विधिज्ञ परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2025

सं. बी.सी.आई.:डी.: 62/2025.—भारतीय विधिज्ञ परिषद् की सामान्य सभा ने मद् संख्या 166/2024 के अंतर्गत दिनांक 07.12.2024 के संकल्प द्वारा संकल्पीत किया कि परिषद् में सचिव के अतिरिक्त प्रधान सचिव का एक पद होगा। सामान्य सभा ने कार्यालय को निर्देशित किया कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् के वर्तमान पदाधिकारियों के नाम एवम् पदभार के विवरण भारतीय राजपत्र में प्रकाशित करे, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के वर्तमान अधिकारियों के नाम एवं पदभार निम्नवत् है।

1. श्री **श्रीमंतो सेन** (प्रधान सचिव) पुत्र श्री शान्तनु सेन, जन्म तारीख 28.01.1974, नियुक्ति तिथि 26.09.2016।

2. श्री आशोक कुमार पाण्डेय (सचिव) पुत्र एस0 एल0 पाण्डेय, जन्म तारीख 03.08.1975 नियुक्ति तिथि 01.10.2012।

3. श्री नलीन राज चतुर्वेदी (अपर सचिव) पुत्र स्वर्गीय श्री रेवती रमण चौबे, जन्म तारीख 24.07.1982 नियुक्ति तिथि 01.10.2012।

4. श्री अवनीश कुमार पाण्डेय (अपर सचिव) पुत्र स्वर्गीय श्री रामइकबाल पाण्डेय, जन्म तारीख 01.06.1970, नियुक्ति तिथि 01.10.2012।

5. श्री अनिल कुमार (सहायक सचिव) पुत्र स्वर्गीय श्री मंगतराम, जन्म तारीख 15.07.1966, नियुक्ति तिथि 05.09.1997।

6. श्री दीपक कुमार (सहायक सचिव) पुत्र श्री दयानंद भट्ट, जन्म तारीख 25.12.1979, नियुक्ति तिथि 09.10.2009।

सामान्य सभा ने आगे संकल्पित किया कि संयुक्त सचिव से नीचे के किसी भी कर्मचारी के संबंध में कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाई या पर्यवेक्षी कार्य प्रधान सचिव, सचिव और अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव की समिति द्वारा किया जाएगा। इन सभी अधिकारियों के पास अपने अपने विभागों/कर्तव्यों/कार्यो के स्वतंत्र प्रभार/जिम्मेदारी होगी तथा किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा किसी एक अधिकारी के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। किसी भी अधीनस्थ/कर्मचारी के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में अंतिम निर्णय इन पदाधिकारियों में बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, ऐसे अनुशासनात्मक या पर्यवेक्षी मामलों में संयुक्त सचिव स्तर तक के सभी अधिकारियों के पास एक एक मत का ही अधिकार होगा।

परिषद् के कार्यवृत (Minutes) पर एक ओर माननीय अध्यक्ष तथा दूसरी और प्रधान सचिव, सचिव, अपर सचिवों के हस्ताक्षर होंगे। कार्यवृत (Minutes) पर बीसीआई के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अतिरिक्त अपर्युक्त नामित अधिकारियों में से कम से कम दो हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

प्रधान सचिव, सचिव, अपर सचिव और/या संयुक्त सचिव के विरूध किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा ही आरंभ की जा सकेगी। किसी भी छोटी या बडी सजा के संबंध में अंतिम निर्णय कार्यकारी समिति द्वारा ही लिया जाएगा, जिसके लिए परिषद् स्वीकृति की आवश्यकता होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य समय समय पर कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के परामर्श से माननीय अध्यक्ष द्वारा तय किए जाएंगे। कर्मचारियों के कर्तव्य/कार्यभार भी उसी समिति द्वारा तय किए जाएंगे। हालांकि, संबंधित अधिकारी केवल अपने अधीन काम करने वाले अधीनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्यों को सौंपने में सक्षम और अधिकृत होंगे।

भारतीय विधिज्ञ परिषद् की सामान्य सभा ने मद संख्या 155/2024 के अंतर्गत दिनांक 07.12.2024 के संकल्प द्वारा संकल्पीत किया, जो कि निम्नवत् है।

अध्यक्ष एवम् उपाध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल से बढाकर पांच साल करने का संकल्प लिया गया है, यह संकल्प चर्चा और विचार विमर्श के बाद और सदस्यों के स्पष्ट बहुमत के अनुमोदन के बाद अपनाया जा रहा है। जाहिर है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत कोई निहित या स्पष्ट प्रतिबंध या निषेध नहीं है जो परिषद् को अपने पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्धारित करने या बढाने से रोकता है। परिषद् तदनुसार संकल्प लेती है।

श्रीमंतो सेन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./893/2024-25]

BAR COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2025

No. BCI:D: 62/2025.— The General Council of Bar Council of India has resolved vide resolution dated 07.12.2024 taken under item No. 166/2024 that there shall be a post of Principal Secretary in addition to the Secretary in the Council.

General Council directed the office to take steps to publish the names along with details and respective designations of the present officials of Bar Council of India, which are as follows:-

1. Mr. Srimanto Sen (Principal Secretary) S/o-Sh. Shantonu Sen, D.O.B-28.01.1974, D.O.J-26.09.2016.
2. Mr. Ashok Kumar Pandey (Secretary) S/o-Sh. S. L. Pandey, D.O.B.-03.08.1975, D.O.J.-01.10.2012

3. Mr. Nalin Raj Chaturvedi (Additional Secretary) S/o- Late. Sh. Rewati Raman Chaubey, D.O.B- 24.07.1982, D.O.J.-01.10.2012
4. Mr. Awanish Kumar Pandey, (Additional Secretary) S/o- Late. Sh. Ramekbal Pandey, D.O.B- 01.06.1970, D.O.J.- 01.10.2012
5. Mr. Anil Kumar, (Assistant Secretary) S/o- Late. Sh. Manget Ram, D.O.B- 15.07.1966, D.O.J.- 05.09.1997.
6. Mr. Deepak Kumar, (Assistant Secretary) S/o- Sh. Dayanand Bhatt, D.O.B- 25.12.1979, D.O.J.- 09.10.2009.

The General Council further resolved that any disciplinary action or supervisory work with regard to any of the employee below the rank of Joint Secretary shall be undertaken by the Committee consisting of the Principal Secretary, the Secretary and the Additional Secretaries and the Joint Secretary. All these officers shall have independent charges/responsibilities of their respective departments/duties/assignments and there shall be no interference in the functioning/working of one officer by any other officer. The final decision in the matters of disciplinary proceedings against any subordinate/staff shall be taken by way of the majority of votes, all the officers upto the rank of Joint Secretary shall have one vote each in such matters.

The minutes of the Council shall be signed by the Hon'ble Chairman on the one hand and the Principal Secretary, the Secretary, the Additional Secretaries on the other hand. A minimum of two signatures from among any of the above named officers would be necessary on the minutes in addition to the signature of the Chairman, BCI.

Any sort of disciplinary action could be initiated or taken against the Principal Secretary, Secretary, Additional Secretary and/or Joint Secretary by the Executive Committee of the Council only. The final decision with regard to any minor or major punishment shall be taken only by the Executive Committee which will need the ratification of the Council.

The powers, functions and the duties of the officers and the staff shall be decided from time to time by the Hon'ble Chairman in consultation with the Chairman of the Executive Committee. The duties/assignments of the staffs will also be decided by the same Committee. However, the concerned officers will only be able and authorize to assign the duties of subordinate staff working under them.

The General Council of Bar Council of India has resolved vide resolution dated 07.12.2024 taken under item No. 155/2024, which are as follows:-

It is resolved to extend the tenure of Chairman & Vice-Chairman from three years to five years which will take effect from 16th April, 2025 i.e. after the next election of the office-bearers. The resolution is being adopted after through discission and deliberation and with the approval of the clear majority of Members. Obviously, there is no implied or express restrictions or prohibitions within the Advocates Act, 1961 that precludes the Council from determining or extending the term of its Office-Bearers. The Council resolves accordingly.

SRIMANTO SEN, Principal Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./893/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.10 19:01:36 +05'30'